<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>26/05/2026</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत मैसर्स तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन, जवाद अहमद सिद्दीकी, विनोद कुमार एवं श्रीयोम चौहान के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है। जांच के दौरान ईडी द्वारा उक्त आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की गई। उक्त प्राथमिकी नई दिल्ली स्थित ग्राम: मदनपुर खादर की खसरा संख्या 792 वाली भूमि को सामान्य मुख्तारनामा (जीपीए) एवं अन्य स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों सहित कूटरचित एवं जाली दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्वक अर्जित किए जाने से संबंधित हैं।

ईडी जांच से यह उजागर हुआ कि जिन सामान्य मुख्तारनामों (जीपीए) के आधार पर उक्त भूमि मैसर्स तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को हस्तांतरित की गई, उन पर दिनांक 07.01.2004 अंकित थी। जांच में यह भी पाया गया कि अनेक मूल भूमिधारकों का निधन वर्ष 2004 से कई दशक पूर्व ही हो चुका था। जांच से यह भी सामने आया कि आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी एवं अन्य ने मूल भूमिधारकों के हस्ताक्षरों/अंगूठे के निशानों को कूटरचित कर अवैध रूप से भूमि हड़पने की साजिश रची।

इसके अतिरिक्त, जांच में यह भी उजागर हुआ कि उक्त सामान्य मुख्तारनामे (जीपीए) वास्तव में वर्ष 2012-13 में, भूमि को मैसर्स तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन को हस्तांतरित किए जाने से ठीक पूर्व, कूटरचित किए गए थे।

आरोपी जवाद अहमद सिद्दीकी ने अन्य आरोपियों के साथ मिलीभगत कर भूमि हड़पने की इस प्रक्रिया को वास्तविक लेनदेन के रूप में प्रदर्शित करने हेतु बैंकिंग लेनदेन का एक दिखावटी तंत्र भी तैयार किया।

जांच में यह भी उजागर हुआ कि इस अवैध भूमि हड़पने की साजिश के लिए जवाद अहमद सिद्दीकी द्वारा बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन किए गए। इस मामले में अपराध आय का परिमाण लगभग **₹47.76 करोड़** निर्धारित किया गया है।

ईडी ने उक्त भूमि, जिसका मूल्य लगभग ₹45.84 करोड़ है तथा जो जवाद अहमद सिद्दीकी एवं मैसर्स तरबिया एजुकेशन फाउंडेशन के अवैध कब्जे/स्वामित्व में थी, को भी कुर्क किया है।

आगे की जांच प्रगति पर है।